

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 12/2019 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

श्री दिगन्त पुत्र प्रतापभाय

पटवारी हल्का राणाद

जाति मपारिण निवासी देली

तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर।


निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की अनु। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राणाद ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम देली के खसरा नम्बर 3441 रकबा 545-17 बीघा में से 0-03 बीघा किस्म जे.सु.गोच राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैरसायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।


अतः गैरसायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पूर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे पञ्च रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल हो।

टी.आर.ए, पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/02/19 को सरेआम सुनाया गया।

  
तहसीलदार गडरारोड

जुर्माना 50/- फसल नि. .....  
फुल योग 50/- जि. के पृष्ठ सं. 86  
वर्ष 20/9-20 में इन्द्राय किया गया।

  
तहसील राजस्व लेखाकार